रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 17, 1984/फाल्गुन 27, 1905
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 17, 1984/PHALGUNA 27, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1984

शुद्धिपत्र

सा॰का॰नि॰ 282.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) तारीख 3 दिसम्बर, 1983 के पृष्ठ सं॰ 2615 और 2616 पर प्रकाशित भारत सरकार के विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 896, तारीख 2 नवम्बर, 1983 में,—

(1) पृष्ठ सं॰ 2615 पर, गोपनीय सहायक के पद से संबंधित क्रम सं॰ 1(क) के सामने, स्तम्भ 2 में, "1*" के स्थान पर "1*(1983)", पढ़ें;

(2) पृष्ठ सं॰ 2616 पर, रोकड़ अधिकारी के पद से संबंधित क्रम सं॰ 2(क) के सामने स्तम्भ 2 में "1*" के स्थान पर "1*(1983)" पढ़ें।

[सं॰ ए-12013/1/83-प्रशा॰ 1(वि॰वि॰)]

एम॰ पी॰ सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the 8th February, 1984

CORRIGENDUM

G.S.R. 282.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, (Legislative Department) No. G.S.R. 896, dated the 2nd November, 1983, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 3rd December, 1983, at pages 2617 and 2618,—

(i) at page 2617, against serial No. 1(a) relating to the post of Confidential Assistant, in column 2, for "1*" read "1* (1983)";

(ii) at page 2618, against serial No. 2(a) relating to the post of Cash Officer, in column 2, for "1*" read "1*(1983)".

[No. A. 12013|1|83-Adm. I(LD)]

M. P. SINGH, Dy. Secy.

1514 GI/83—1.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1984

सा० का० नि० 307:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सूचना सेवा नियम, 1959* का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सूचना सेवा (संशोधन) नियम, 1984 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 केन्द्रीय सूचना सेवा नियम, 1959 की अनुसूची 8 में खंड 1 क के उपखंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1) आयु-सीमा:

35 वर्ष से अधिक नहीं

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)" ।

[फा० सं० ए-12025/3/83-सी० आई० एस० सं० 84]

पी० के० जलाली, अवर सचिव

* सा० का० नि० 217 (सी० आई० एस०) तारीख 16 फरवरी, 1959 के अधीन अधिसूचित ।

बाद में इन नियमों के तिरासी संशोधन अधिसूचित किए गए । अतः सभी संशोधन के राजपत्र निर्देश पाद-टिप्पण में सम्मिलित करना दुःसाध्य होगा ।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 25th February, 1984

G.S.R. 307.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Information Service Rules, 1959*, namely :

1. (1) These rules may be called the Central Information Service (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule VIII to the Central Information Service Rules, 1959, for sub-clause (i) of clause 1-A, the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(i) Age limit.—Not exceeding 35 years (Relaxable for government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government."

[F. No. A-12025/3/83-CIS No. 84]

P. K. JALALI, Under Secy.

*Notified under GSR 217(CIS) dated 16th February, 1959.

Subsequently eighty three amendments to these rules were notified and as such it would be unwieldy to include the Gazette references to all the amendments in the foot note.

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1984

सा०का०नि० 308 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आकाशवाणी (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम 1964 को, जहां तक उनका सम्बन्ध नक्शानवीस श्रेणी 1, नक्शानवीस श्रेणी 2, अनुरेखक और लीथो मुद्रक पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, समूह "ग" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी, दूरदर्शन (समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1984 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

1 पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1. प्रधान नक्शानवीस	1* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	रु०-550-20-650-25-900	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।
2. नक्शानवीस श्रेणी-1	15* (1983) *कार्यभार के के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	रु०-425-15-500-द०रो०-15-560-द०रो०-20-700.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या भर्ती सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण से होगी तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण से भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिस-में से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय प्रदोन्नति समिति होगी, इसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	ऐसे नक्शानवीस श्रेणी 1 जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :— 1. मुख्य इन्जीनियर (आकाशवाणी)—अध्यक्ष 2. निदेशक इन्जीनियरी, (आकाशवाणी)—सदस्य 3. डी. डी. ओ. (ए)—सदस्य 4. के. लो. नि. वि./डाक-तार से सहायक वास्तु-विद्/का ई की पंक्ति का एक बाहरी सदस्य।	लागू नहीं होता
नहीं	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	ऐसे नक्शानवीस श्रेणी 2 जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।	समूह "ग" विभागीय प्रो-न्नति समिति जो निम्न-लिखित से मिलकर बनेगी :- 1. निदेशक, इंजीनियरी (एल. एल. एफ)—अध्यक्ष 2. डी. डी. ओ. (ए)—सदस्य 3. के. लो. नि. या डाक-तार से का. ई./सहायक वास्तुविद् की पंक्ति का	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
3. नक्शानवीस श्रेणी 2	31* (1983) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित अनुसचिवीय)	330-10-380-द०रो०-12-480-द०रो०-15-560 रु०	प्रवरण	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पणी—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भर्ती के वर्ष की पहली जनवरी होगी)।	मैट्रिक के साथ किसी मान्यता-प्राप्त संस्थान से नक्शानवीस (विद्युत यांत्रिक/सिविल में 2 वर्ष से अधिक अवधि का डिप्लोमा जिसमें छह मास का व्यावहारिक प्रशिक्षण सम्मिलित है।
4. नक्शानवीस श्रेणी 3/अनुरेखक	17* (1983) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	260-8-380-द०रो०-8-340-10-380-द०रो०-10-430 रु०	प्रवरण	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भर्ती के वर्ष की पहली जनवरी होगी)।	मैट्रिक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नक्शानवीस में 2 वर्ष की अवधि वाला डिप्लोमा।

9	10	11	12	13	14
नहीं	2 वर्ष	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	ऐसे नक्शानवीस श्रेणी 3, अनुरेखक जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. निदेशक, इन्जीनियरी (आकाशवाणी)—अध्यक्ष 2. डी. डी. ओ (ए)—सदस्य 3. के. लो. नि वि. या डाक-तार से का. ई/सहायक वास्तुविद् की पंक्ति का एक बाहरी सदस्य	लागू नहीं होता
नहीं	2 वर्ष	66 2/3 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 33 1/3 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	ऐसे लौह मुद्रक जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है किन्तु यह अनुरेखन में विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए होगा।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. निदेशक, इंजीनियरी (आकाशवाणी)—अध्यक्ष 2. डी. डी. ओ. (ए)—सदस्य 3. के. लो. नि. वि. या डाक-तार से का. ई./सहायक वास्तुविद् की पंक्ति का एक बाहरी —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
5. लौह मुद्रक	6* (1983) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	225-5-260-6-290-द०रो०-6-308 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भर्ती के वर्ष की पहली जनवरी होगी)।	(1) मैट्रिक या समतुल्य अर्हता; (2) लौह मुद्रण यंत्रों और उसके लिए अपेक्षित रसायनिक विलयन का गहन ज्ञान।

12	13	14
लागू नहीं होता	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. निदेशक, इंजीनियरी (आकाशवाणी)—अध्यक्ष 2. डी. डी. ओ. (ए) —सदस्य 3. कें. लो. नि. वि. या डाक-तार से का. ई/की पंक्ति का एक बाहरी सदस्य।	लागू नहीं होता

[फाइल सं० 301/4/83 बी (डी)]

इकबाल कृष्ण, अवर सचिव

New Delhi, the 29th February, 1984

G.S.R. 308.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, insofar as they relate to the posts of **Draftsman Grade I**, Draftsman Grade II, Tracer, and Ferro Printer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to Group 'C' posts, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the All India Radio, Doordarshan (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other maters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—(I) No person,—

(a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into, or, contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Head Draftsman	1*	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 550-20-650-25-900	Selection	N.A.	N.A.	N.A.
2. D/man Gr. I	15 (1983)	General Central Service Group 'C' (Non-Gaz.) Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700	Non-Selection	N.A.	N.A.	N.A.

*Subject to variation dependent on work load.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
9	10	11	12	13	14
N.A.	2 years	By promotion	D/man Gr. I having 5 years regular service in the grade	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— (1) Chief Engineer (AIR)—Chairman. (2) Dir. Engg. (AIR)—Member. (3) DDO(A)—Member. (4) An outside member of the rank of Asstt. Architect/XEN from CPWD/P&T.	N.A.
No	2 years	By promotion	D/men Grade II who have rendered 5 yrs. regular service in the grade	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— (1) DE(NLF)—Chairman. (2) DDO(A)—Member. (3) Outside member of the rank of XEN/Asstt. Architect from CPWD or P&T.	N.A.

1	2	3	4	5	6	7	8
3. D/man Gr. II	31* (1983)	General Central Service Group 'C' (Non-Gaz.) Non-Ministerial	Rs. 330-10-380-EB-12-560-EB-15-560	Non-Selection	N.A.	18 to 25 yrs. Relaxable for Govt. servants upto 35 yrs. of age. (Note :. Crucial date for determining the age would be 1st Jan. of the Rectt. year).	Matric with Diploma in D/manship (Electrical/Mechanical/Civil) from a recognised Institute of not less than 2 yrs. duration including 6 months practical training.
4. D/man Gr.III/ Tracer	17 (1983)	General Central Service Group 'C' (Non-Gaz.) Non-Ministerial.	Rs. 260-8-300-EB-8-340-10-380-EB-10-430	Non-selection	N.A.	18 to 25 yrs. Relaxable for Govt. servants upto 35 yrs. of age. (Note : Crucial date for determining the age would be 1st of Jan. of rectt. year).	Matric with a certificate or Diploma in D/manship from a recognised Institute of 2 yrs. duration.
5. Ferro-Printer	6 (1983)	General Central Service Group 'C' (Non-Gaz.) Non-Ministerial	Rs. 225-5-260-6-290-EB-6-300	N.A.	N.A.	18 to 25 years Relaxable for Govt. servants upto 35 yrs. of age. (Note : Crucial date for determining the age would be 1st of Jan. of the Rectt. year).	(1) Matric or equivalent qualification. (2) Thorough knowledge of Ferro-printing machines and chemical solutions required thereof.

*Subject to variation dependent on work load.

9	10	11	12	13	14
No	2 years	50% by direct Recruitment and 50% by promotion	D/man Gr. III Tracer with having 5 (five) years regular service in the grade	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— (1) Dir. Engg (AIR)—Chairman. (2) DDO(A)—Member. (3) An outside member of the rank of Asstt. Architect/XEN from CPWD/P&T.	N.A.
No	2 years	66 2/3% by Direct Recruitment and 33 1/3% by promotion.	From Ferro-printers having 3 (three) years regular service in the grade subject to qualifying in a departmental test in tracing.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— (1) Dir. Engg. (AIR)—Chairman. (2) DDO(A)—Member. (3) An outside member of the rank of XEN/Asstt. Architect from CPWD/P&T	N.A.
N.A.	2 years	Direct recruitment	N.A.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— (1) Dir. Engg. (AIR)—Chairman. (2) DDO(A)—Member. (3) An outside member of the rank of XEN from CPWD/P&T.	N.A.

[File No. 301/4/83-B(D)]
IQBAL KRISHAN, Under Secy.

संचार मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1984

सा०का०नि० 309 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेश संचार सेवा में हिन्दी टाइपिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेश संचार सेवा (हिन्दी टाइपिस्ट) भर्ती नियम, 1984 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमो से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें व होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों में किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।